CNR NO-UPLP 04

न्यायालय– सिविल जज(क0प्र0)/एफ0टी0सी0 (सी0ए0डब्लू)लखीमपुर–खीरी।

प्रकीर्ण वाद संख्या –30/2026

संगीता देवी व अन्य बनाम कुंवर आदि

निस्तारण प्रार्थना–पत्र 173(4) बी.एन.एस.एस.

12–08–2026

पत्रावली वास्ते निस्तारण पेश हुई। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.पर सुना।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस के अनुसार प्रार्थिनी ने अपनी पुत्री कामिनी का विवाह दिनॉक 15–02–2026 को विपक्षी कुंवर के साथ किया था। विपक्षी कुंवर व उसके घर वाले प्रार्थिनी के घर से प्राप्त भेंट उपहार व घरेलू सामान जेवर आदि व नकद मु0 1,00000/–रू0 से सन्तुष्ट नहीं थे व विपक्षी कुंवर का बड़ा भाई नवीन, ससुर सुरेश व सास नाम अज्ञात पत्नी सुरेश प्रार्थिनी की पुत्री को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे जिसमें मुख्यतः नवीन(जेठ) प्रार्थी की पुत्री को गलत भावना से मार पीट कर आहत करता था।

दिनॉक 18–07–2026 को उपरोक्त सभी विपक्षीगण ने प्रार्थिनी की पुत्री को काफी मारा पीटा सूचना पाकर जब प्रार्थिनी व उसके पति तथा गॉव की मंजू मौके पर पहुॅचे तो विपक्षीगण एक जुट होकर प्रार्थिनी व उसके साथ गये अन्य लोगों पर जान लेवा हमला कर दिया तथा प्रार्थिनी का ब्लाउज फाड़कर धक्का दे दिया तथा अन्य महिला मंजू के साथ भी काफी अभद्रता करते हुए गाली गलौज व मार पीट की क्योंकि उसने घटना का वीडियो बनाया था। इसके बाद प्रार्थिनी के सामने उसकी पुत्री को जबरन घर में घसीटकर ले गये तथा बाहर स्थित कमरे में स्वयं आग लगाते हुए धमकाया कि सालो तुम्हे आगजनी के केस में फंसाकर जेल में सड़ा दूॅगा जिसकी सूचना प्रार्थिनी द्वारा लिखित सूचना थाना स्थानीय में दी जिस पर प्रार्थिनी की पुत्री को प्रार्थिनी के साथ भिजवा दिया। किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की। प्रार्थिनी ने घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को भी प्रार्थना–पत्र दिया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थिनी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र व सूची से पुलिस अधीक्षक ,जिलाधिकारी लखीमपुर–खीरी को दिये गये प्रार्थना–पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत किया है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदिका द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित प्रकरण के बावत थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के माध्यम से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी का ब्लाउज फाड़कर धक्का देने व उसके साथ गई अन्य महिला मंजूदेवी के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज व मार पीट करने का कथन किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना–पत्र में किये गये कथनो से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना प्रकट होता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी संगीता आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष हैदराबाद जिला खीरी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के बावत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें तथा अनुपालन आख्या आदेश की तिथि से तीन दिन के अन्दर

न्यायालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाख्लि अभिलेखागार हो।

दिनॉक 12—08—2026

(मारूफ अंसारी)
सिविल जज(क0प्र0)/एफ0टी0सी0(सी0ए0डब्लू)
लखीमपुर—खीरी।
जे0ओ0कोड—(यू0पी0 04753)